

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
ाकरण संख्या :- 198/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा : प्लॉट नम्बर एसबी-59, यूडीबी टॉवर, प्रथम मंजिल,
गर निगम ऑफिस के सामने, टॉक रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रितु जोशी पत्नी श्री सुमनेश जोशी,
2. समनीश जोशी,
पता :- मकान नम्बर 325, विवेकानन्द मार्ग, गायत्री नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. श्री शशि जोशी,
पता :- 64-ए, उमा पथ, राम नगर, सोडाला, जयपुर।
एवं मकान नम्बर 325, विवेकानन्द मार्ग, गायत्री नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. श्री सुनीता शर्मा,
पता :- 193, मिलाप नगर, अपोजिट जयपुरिया हॉस्पिटल, टॉक रोड, जयपुर।
एवं मकान नम्बर 325, विवेकानन्द मार्ग, गायत्री नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. श्री जब्बर मल शर्मा,
पता :- 17/111, टेलीफोन कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।
एवं मकान नम्बर 325, विवेकानन्द मार्ग, गायत्री नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. श्री विनोद कुमार शर्मा,
पता :- मकान नम्बर 9, जगदम्बा कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।
एवं मकान नम्बर 325, विवेकानन्द मार्ग, गायत्री नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री मोहम्मद जावेद, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 27.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु दिनांक 22.10.2021 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रितु जोशी पत्नी श्री सुमनेश जोशी के स्वामित्व की सम्पति मकान नम्बर 325, विवेकानन्द मार्ग, गायत्री नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर क्षेत्रफल 225 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 12,11,669/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.07.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इम्प्लान्ट उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 1211669/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए धोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मग ब्याज कुल 13,85,022.61/- रुपये जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.07.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री रितु जोशी पत्नी श्री समनीश जोशी के स्वागित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 325, विवेकानन्द मार्ग, गायत्री नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर क्षेत्रफल 225 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर भिजवाने दपतर हो।



आदेश आज दिनांक 27.02.2023 को सारे इजलास सुनाया गया।

३००
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर